

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 608 / FP/UK/ROAD/23851/2017 दिनांक: देहरादून 28 अगस्त 2020
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मुस्टिकसौड़-कुरोली मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या- **FP/UK/ROAD/23851/2017**

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 07-02-2020 महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक 07-02-2020 के सम्बन्ध में वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	EDS dated -08-10-2018	निराकरण
1	Only administrative approval, geologist report and joint inspection report are found uploaded in part I.	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव से सम्बन्धित सभी अपेक्षित अभिलेख पार्ट I में अपलोड कर दिये गये हैं।
2	Only digital map Part I, II, III & V joint inspection report and site inspection report are submitted in hard copy.	उक्त दस्तावेजों की हार्ड प्रति हेतु प्रस्तावक विभाग को लिखा गया है प्राप्त होने पर प्रेषित कर दी जायेगी।
3	Total period for which the forest land is proposed to be diverted is mentioned as 1 year at Para A online part I.	बिन्दु संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आनलाईन पार्ट I के पैरा A-1 (x) में संशोधन कर लिया गया है।
4	FRA certificate is not found properly uploaded and also not clear.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित स्पष्ट अभिलेख आनलाईन पार्ट I में अपलोड कर दिये गये हैं।
5	The number of trees affected is mentioned as 41 in hard copy, where as it is mentioned as 89 in the enumeration list uploaded in Part II.	बिन्दु संख्या-05 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव में सिविल भूमि में कुल 96 एवं नाप भूमि में 13 वृक्ष प्रभावित हो रहें हैं। नाप भूमि में स्थित वृक्षों को आनलाईन पार्ट II में अंकित नहीं गया है। उक्तानुसार प्रभाग स्तर से पार्ट II के पैरा 4(ii) में संशोधन कर 96 वृक्षों की सूची अंकित कर दी गयी है।
6	At para 15 against S.No-5.5 and 5.5(a) in Part II no comments are made by DFO.	बिन्दु संख्या 06 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में टिप्पणी करके पार्ट II में अपलोड कर ली गयी है।
7	Total trees affected are mentioned as 89 over 11.63 ha and density is mentioned as 0.1 which does not seem to be correct.	बिन्दु संख्या 07 के अनुपालन में प्रभाग स्तर से पार्ट II के घनत्व संशोधित कर 0.2 अंकित कर दिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(डी०जे०के० शर्मा)

28/8/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी